न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2026 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 35 / 2026	2026 / 62	10.04.2026	3-6-2026

1– अब्दुल्ला पुत्र जानमौहम्मद,
2– रहमुदीन,
3– सकील,
4– समीम पुत्रान फतेहमौहम्मद जाति मेवान निवासीगण ग्राम कारेण्डा तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थीगण

बनाम

1– उपखण्ड अधिकारी टपूकडा।
2– फजरी पत्नी हसनमौहम्मद जाति मेव निवासी ग्राम कारेण्डा तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 24 दीवानी प्रक्रिया संहिता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा में विचाराधीन उनवान अब्दुल्ला बनाम फजरी वगै0 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी.एक्ट 1955 प्रकरण प्रकरण संख्या 87 / 2026 को दीगर राजस्व न्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

उपस्थितिः
1– श्री अब्दुल कलाम एड0 वकील प्रार्थी

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह कथन किया गया है, कि तहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा के समक्ष प्रार्थी / वादी के द्वारा अप्रार्थी / प्रतिवादी के विरूद्व पेश किया गया है, जिसकी कार्यवाही विचाराधीन है, विचाराधीन वाद उनवान अब्दुल्ला बनाम फजरी वगै0 धारा अन्तर्गत 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट 1955 में अप्रार्थी / प्रतिवादी तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी साजबाज हो चुके है, अप्रार्थी प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने राजस्व अधिकारियो से साठगांठ कर साजबाज हो गये है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष कार्यवाही नही कर रहे है, तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की संभावना नहीं है, इसी आधार पर उक्त प्रकरण को किसी अन्य दीगर राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान की तलवी जर्ये नोटिस की गयी एंव तहत अदालत का बिन्दूवार जवाब तलब किया गया।

प्रार्थना पत्र तथा प्रस्तुत आधारों पर विचार किया गया। स्थानांतरण की शक्ति एक असाधारण शक्ति है, जिसका प्रयोग केवल उसी दशा में किया जाता है, जब अभिलेख पर ऐसी ठोस, वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध हो, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत हो कि संबंधित न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, अथवा न्याय के हित में प्रकरण का स्थानांतरण अनिवार्य है। केवल आशंका, अनुमान, असंतोष, या किसी पक्षकार द्वारा लगाए गए सामान्य आरोप, स्थानांतरण का पर्याप्त आधार नहीं माने जा सकते।

प्रार्थी द्वारा यह आरोप अवश्य लगाया गया है, कि अप्रार्थीयान प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने राजस्व अधिकारियो से साठगांठ कर साजबाज होकर निष्पक्ष कार्यवाही नही कर रहे है, किन्तु इन आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र, ठोस अथवा विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय पक्षपाती है, या न्यायिक कार्यवाही निष्पक्ष रूप से नहीं चलेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण अभी विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश पारित किया गया है, जिससे प्रार्थिया असंतुष्ट है, तो उसके विरुद्ध विधि में उपलब्ध उपयुक्त उपाय अपनाए जा सकते हैं। स्थानांतरण का अधिकार इस उद्देश्य से नहीं है, कि कोई पक्षकार केवल अपने मनोनुकूल न्यायालय चुन सके या मात्र आशंका के आधार पर कार्यवाही को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय भेज दिया जाए।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से यह भी परिलक्षित नहीं होता कि तहत अदालत को प्रकरण सुनने से विधिक रूप से वंचित करने वाला कोई क्षेत्राधिकार संबंधी, वैधानिक अथवा प्रक्रियात्मक दोष विद्यमान है। न ही ऐसा कोई विशेष कारण सामने आया है, जिससे यह कहा जा सके कि न्याय के हित में स्थानांतरण अपरिहार्य है।

अतः समस्त तथ्यों, प्रार्थना पत्र के आधारों तथा उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रार्थी द्वारा उठाई गई आशंकाएँ केवल सामान्य एवं आरोपात्मक प्रकृति की हैं, जो किसी विचाराधीन प्रकरण को स्थानांतरित करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं। प्रार्थिया स्थानांतरण हेतु कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार स्थापित करने में असफल रहा है।

आदेश

फलस्वरूप, प्रार्थी अब्दुल्ला पुत्र जानमौहम्मद वगै0 जाति मेवान निवासीगण ग्राम कारेण्डा तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) विधि अनुसार उनवानी अब्दुल्ला बनाम फजरी वगै0 राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 87/2026 का विधिवत निस्तारण करें। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

आदेश आज दिनांक 3-6-2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)